फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्री मजहर हुसैन बोहरा निवासी तहसील रोड़, हरिजन बस्ती के सामने, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द — **प्रत्यर्थी**

मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 12/2026**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 30.03.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :– एफ.1( ) सू0अ0,05/12/111 दिनांक 04.03.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 15.01.2026 को सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 के तहत प्रस्तुत किया गया। आरटीआई आवेदन में ईप्सित सूचना का संबंध प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग से होने से इस कार्यालय द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 40 दिनांक 16.01.2026 से संबंधित कार्यालय को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग के पत्रांक 663 दिनांक 09.02.2026 की प्रति, इस कार्यालय के पत्रांक 94 दिनांक 13.02.2026 से प्रार्थी को सूचनार्थ हेतु पत्र प्रेषित किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी के हितबद्ध से संबंधित सूचनाएं अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जावे। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को कार्यालय	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

के जरिये पत्रांक 94 दिनांक 13.02.2026 से सूचित किया गया। लेकिन अधिवक्ता अपीलांट उक्त सूचना से संतुष्ट नही होने से लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचनाओं मे से अपीलार्थी के हितबद्ध सूचना कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, तथा लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)